भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2233
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क योजना

2233. सुश्री कंगना रनौतः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान जारी की गई निधियों और उनके वास्तविक उपयोग के बीच कोई अंतर पाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए क्या लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित की गई है और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(घ) क्या सरकार द्वारा विलंब अथवा धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समीक्षा की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस परियोजना को समय पर पूरा करने और प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): औषध विभाग, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हारोली में 'बल्क औषधि पार्क संवर्धन योजना' के अंतर्गत बल्क औषधि पार्क के विकास के लिए दिनांक 11.10.2022 को ₹1000 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी, जिसमें से 225 करोड़ रुपये दिनांक 20.02.2023 को जारी किए गए थे। राज्य सरकार ने भी ₹118.46 करोड़ की राशि स्वीकृत की है और वित्त वर्ष 22-23 में राज्य के हिस्से के रूप में ₹35.53 करोड़ की राशि साझी अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के विकास के लिए जारी की है। जारी की गई धनराशि का वर्षवार उपयोग निम्नानुसार है: -

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केन्द्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा
2023-24	55.41	0
2024-25	0	0
2025-26	43.77	0.24
2026-27	16.82	0
कुल	116.00	0.24

(ख): जारी की गई धनराशि का उपयोग अनुमोदित परियोजना घटकों और नामित एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित किए जा रहे कार्यों की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उपयोग अवसंरचना घटकों के निष्पादन से जुड़ा हुआ है।

(ग): कार्यान्वयन के अधीन प्रमुख साझी अवसंरचना सुविधाओं में साइट विकास, जल आपूर्ति प्रणाली, विद्युत अवसंरचना, शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) के साथ सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी), भाप उत्पादन प्रणाली, मालगोदाम, उत्कृष्टता केंद्र, सोल्वेंट रिकवरी प्रणाली, आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं शामिल हैं।

वर्तमान स्थिति इस प्रकार है

i. चरण-I के स्थल विकास का लगभग 20% कार्य पूरा हो चुका है।
ii. 15 एमएलडी क्षमता के लिए जल आपूर्ति और भूजल पुनर्भरण कार्यों का लगभग 98% कार्य पूरा हो चुका है।
iii. निर्माण चरण के लिए आवश्यक 20 मेगावाट विद्युत अवसंरचना का निर्माण एचपीएसईबीएल द्वारा पूरा कर लिया गया है।
iv. जेडएलडी के साथ सीईटीपी (273 करोड़) और स्टीम जनरेशन सिस्टम (₹300 करोड़) के लिए निविदाएं जारी की गईं।
v. अन्य महत्वपूर्ण उपयोगिताओं के लिए खरीद प्रक्रिया जारी है।

संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों, परियोजनाओं की स्थिति, निधि के उपयोग के स्तर और वित्त वर्ष 2026-27 में परियोजनाओं के अपेक्षित पूर्ण होने के आधार पर, योजना की अवधि वित्त वर्ष 2026-27 तक बढ़ा दी गई है।

(घ) और (ङ): जी हां। हिमाचल प्रदेश में विकसित किए जा रहे बल्क औषधि पार्क की प्रगति की समीक्षा "बल्क औषधि पार्क संवर्धन" योजना की नियमित निगरानी योजना संचालन समिति, औषध विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव तथा हिमाचल प्रदेश के माननीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति द्वारा की जाती है। देरी के मुख्य कारणों में पर्यावरण मंजूरी का मिलना, जो दिनांक 25.09.2025 को प्रदान की गई है, साथ ही वृक्षों की कटाई की अनुमति और खरीद के लिए बोलियों से संबंधित प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं हैं। राज्य सरकार और कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना के क्रियान्वयन की बारीकी से निगरानी कर रही हैं और महत्वपूर्ण अवसंरचना घटकों के लिए वैधानिक मंजूरियों, निविदाओं और अनुबंधों के आबंटन में गतिशीलता ला रही हैं। पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने के बाद, परियोजना गतिविधियों में तेजी आई है और पार्क के समय पर पूरा होने और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई अवसंरचना पैकेज कार्यान्वयन के अधीन हैं या खरीद के उन्नत चरणों में हैं।
